दिनांक- 05.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 295/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में वामा सारथी कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस लाइन में बच्चों द्वारा भव्य वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

आज दिनांक 05.07.2026 को अपर पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 मुख्यालय, पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ के आदेश पत्र संख्याः डीजी-12 (कैलेण्डर) 2025/07 दिनांक 28.06.2026 के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में वामा सारथी (उ0प्र0 पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन) कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस लाइन महोबा में आवासित पुलिस परिवारों के बच्चों द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान पुलिस परिवारों के बच्चों ने अत्यंत उत्साह एवं ऊर्जा के साथ प्रतिभाग किया तथा परिसर में विभिन्न स्थानों पर फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया। बच्चों द्वारा आम, अमरूद, नीम, पीपल आदि पौधे लगाए गए, जिससे भविष्य में हरित वातावरण का निर्माण हो सके। कार्यक्रम में उपस्थित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भी बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके साथ वृक्षारोपण किया।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों द्वारा बच्चों एवं परिजनों को संबोधित करते हुए पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। बताया गया कि वर्तमान समय में पर्यावरण असंतुलन, जलवायु परिवर्तन एवं प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं के समाधान हेतु वृक्षारोपण अत्यंत आवश्यक है। वृक्ष न केवल हमें शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, बल्कि जल संरक्षण, तापमान संतुलन एवं जैव विविधता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम के अंतर्गत सभी उपस्थित लोगों को अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने एवं लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं देखभाल का संकल्प दिलाया गया। साथ ही यह भी प्रेरित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाए और उसकी नियमित देखभाल सुनिश्चित करे।

उक्त कार्यक्रम के माध्यम से पुलिस परिवारों के बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ समाज को भी सकारात्मक संदेश दिया गया कि "वृक्षारोपण ही जीवन का आधार है" तथा पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

दिनांक- 05.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 296/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में वामा सारथी कार्यक्रम के अंतर्गत पुलिस लाइन में निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा शिविर का आयोजन

पुलिस महानिरीक्षक, कार्मिक/पुलिस महानिदेशक के जी0एस0ओ0 उत्तर प्रदेश के आदेश पत्र संख्याः डी0जी0-12-(वे0 वामा सारथी कल्याणकारी कार्य-12)/2025, दिनांक 17 नवम्बर 2025 के अनुपालन में तथा पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशानुसार आज दिनांक 05.07.2026 दिन रविवार को रिजर्व पुलिस लाइन महोबा में वामा सारथी, उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में होम्योपैथिक चिकित्सा परामर्श एवं निःशुल्क दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया।

उक्त चिकित्सा शिविर में डॉ. भारत कुमार अपने स्टाफ सहित उपस्थित रहे, जिनके द्वारा पुलिस लाइन परिसर में आवासित पुलिस कर्मियों, उनके परिजनों एवं बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया तथा विभिन्न रोगों के संबंध में विशेषज्ञ चिकित्सीय परामर्श प्रदान किया गया। शिविर के दौरान सामान्य स्वास्थ्य जांच, रोग परामर्श एवं आवश्यकतानुसार विभिन्न जांचों की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई।

चिकित्सा शिविर के माध्यम से उपस्थित लाभार्थियों को होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के महत्व एवं उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई तथा उन्हें निःशुल्क दवाएं वितरित की गईं। इस अवसर पर चिकित्सकों द्वारा बताया गया कि होम्योपैथिक चिकित्सा सुरक्षित, प्रभावी एवं दीर्घकालिक लाभ प्रदान करने वाली पद्धति है, जिससे विभिन्न रोगों का समुचित उपचार संभव है।

कार्यक्रम में प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक सहित अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण भी उपस्थित रहे तथा उन्होंने कार्यक्रम के सफल संचालन में सक्रिय सहयोग प्रदान किया। साथ ही सभी उपस्थित जनों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने एवं समय-समय पर चिकित्सीय परामर्श लेने के लिए प्रेरित किया गया।

इस आयोजन के माध्यम से पुलिस परिवारों के स्वास्थ्य कल्याण की दिशा में एक सराहनीय पहल की गई, जिससे पुलिस कर्मियों एवं उनके परिजनों को सीधे लाभ प्राप्त हुआ।

दिनांक- 05.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 297/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गठित टीम उ0नि0 सूर्यभान सिंह मय हमराही द्वारा दिनांक 05.07.2026 को 01 नफर वारंटी अभियुक्त ज्ञान सिंह पुत्र सुरेश, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम झिरसहेवा थाना कबरई जनपद महोबा को सम्बन्धित मुकदमा संख्या 867/16 व एनसीआर संख्या 76/14 धारा 323/504/506 भा.दं.सं. (सीजेएम कोर्ट महोबा) में वहद ग्राम झिरसहेवा थाना कबरई से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

ज्ञान सिंह पुत्र सुरेश, उम्र करीब 32 वर्ष, निवासी ग्राम झिरसहेवा थाना कबरई जनपद महोबा

गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी-

1. उ0नि0 सूर्यभान सिंह

दिनांक- 05.07.2026
प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 298/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना खन्ना

थाना खन्ना पुलिस टीम द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र सिंह थाना खन्ना जनपद महोबा की देखरेख में पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उक्त क्रम में दिनांक 05.07.2026 को उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह मय हमराह रि0का0 सुमित सिंह द्वारा 01 नफर वारंटी अभियुक्त घन्सू पुत्र रामसनेही, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम मवईखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा को सम्बन्धित मु0अ0सं0 50/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना मटौंध में माननीय न्यायालय सिविल जज जू.डि./एफ.टी.सी.-1 बांदा द्वारा जारी गैर-जमानती वारंट के आधार पर नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

घन्सू पुत्र रामसनेही, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम मवईखुर्द थाना खन्ना जनपद महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 लक्ष्मीनारायण सिंह
2. रि0का0 सुमित सिंह

दिनांक- 05.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 299/26

महोबा पुलिस

सर्किल कुलपहाड़- थाना महोबकंठ

थाना महोबकंठ पुलिस टीम द्वारा

अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ श्री अनुरुद्ध कुमार के पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध शस्त्र व कारतूस की बिक्री/परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना महोबकंठ पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थाना महोबकंठ प्रभारी निरीक्षक श्री विनोद कुमार द्वारा गठित पुलिस टीम, उ0नि0 रोहित कुमार, उ0नि0 अजय प्रताप सिंह, रि0का0 कौशिक सिंह एवं रि0का0 नितिन कनौजिया द्वारा आज दिनांक 05.07.2026 को भूरा टूडर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान 01 नफर अभियुक्त विकास राजपूत पुत्र बबलू राजपूत, उम्र करीब 18 वर्ष निवासी ग्राम भुजपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना महोबकंठ पर मु0अ0सं0 94/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 रोहित कुमार, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
2. उ0नि0 अजय प्रताप सिंह, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
3. रि0का0 कौशिक सिंह, थाना महोबकंठ जनपद महोबा
4. रि0का0 नितिन कनौजिया, थाना महोबकंठ जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

विकास राजपूत पुत्र बबलू राजपूत, निवासी ग्राम भुजपुरा थाना महोबकंठ जनपद महोबा

बरामदगी-

- 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर

अपराध का विवरण-

- मु0अ0सं0 94/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम, थाना महोबकंठ जनपद महोबा

दिनांक- 05.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 300/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना/कार्यालयों पर व्यापक स्वच्छता एवं शस्त्र रख-रखाव अभियान संचालित, स्वच्छता का दिया गया संदेश

- पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों, कार्यालयों एवं पुलिस बैरकों में स्वच्छता एवं सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली को सुदृढ़ बनाए रखने हेतु विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया गया।
- उक्त अभियान के अंतर्गत सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना परिसरों, कार्यालयों, बैरकों, शस्त्रागारों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर नियमित साफ-सफाई सुनिश्चित करने तथा स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के निर्देश दिए गए थे।
- निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी थानों द्वारा समन्वित रूप से अभियान चलाते हुए थाना परिसर, आवासीय बैरकों, कार्यालय कक्षों एवं सार्वजनिक स्थलों की व्यापक साफ-सफाई की गई। साथ ही शस्त्रों की विधिवत साफ-सफाई एवं रख-रखाव सुनिश्चित करते हुए उनकी कार्यक्षमता को बनाए रखने हेतु आवश्यक निरीक्षण भी किया गया।
- इस अभियान का मुख्य उद्देश्य पुलिस परिसर को स्वच्छ, सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाए रखना, कर्मियों में अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना को सुदृढ़ करना तथा कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण स्थापित करना है।
- महोबा पुलिस द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि स्वच्छता एवं रख-रखाव के मानकों का निरंतर पालन किया जाए, जिससे जनपद में बेहतर पुलिसिंग के साथ-साथ एक अनुशासित एवं प्रभावी कार्यसंस्कृति विकसित हो सके।

☞ स्वच्छता, अनुशासन एवं तत्परता—महोबा पुलिस जनसेवा एवं सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है।

दिनांक- 05.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 301/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में वन महोत्सव के अंतर्गत थाना चरखारी परिसर में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण का दिया गया संदेश।

आज दिनांक 05.07.2026 को 01 जुलाई से 07 जुलाई तक चलाये जा रहे वन महोत्सव कार्यक्रम के दृष्टिगत वर्ष 2026 में प्रदेश स्तर पर निर्धारित 37 करोड़ वृक्षारोपण के लक्ष्य के क्रम में पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में थाना चरखारी परिसर में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम के दौरान थाना परिसर में विभिन्न प्रजातियों के फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण अभियान में पुलिस कर्मियों एवं वन विभाग की टीम द्वारा संयुक्त रूप से भाग लेते हुए पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की गई। इस दौरान पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखभाल के संबंध में भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

उपस्थित अधिकारियों द्वारा बताया गया कि वन महोत्सव का उद्देश्य अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर पर्यावरण संतुलन को बनाए रखना, प्रदूषण को नियंत्रित करना एवं आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। वृक्ष न केवल हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि जल संरक्षण, भूमि संरक्षण एवं जैव विविधता के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

कार्यक्रम के अंतर्गत सभी उपस्थित पुलिसकर्मियों को अधिकाधिक वृक्षारोपण करने तथा लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने हेतु प्रेरित किया गया। साथ ही यह संकल्प लिया गया कि प्रत्येक व्यक्ति कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएगा और उसके संरक्षण की जिम्मेदारी निभाएगा।

उक्त वृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ समाज में एक सकारात्मक संदेश प्रसारित किया गया कि "हरित वातावरण ही स्वस्थ जीवन का आधार है"।

महोबा पुलिस

दिनांक- 05.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 302/26

मिशन शक्ति फेज-5.0 के तहत महोबा पुलिस का जनपदव्यापी "बहू–बेटी सम्मेलन", महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का संदेश

"सशक्त नारी – सुरक्षित समाज" के संकल्प के साथ महोबा पुलिस का व्यापक जागरूकता अभियान

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में तथा अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन में आज दिनांक 05.07.2026 को मिशन शक्ति फेज-5.0 (द्वितीय चरण) के अंतर्गत जनपद महोबा के समस्त थाना क्षेत्रों में वृहद स्तर पर "बहू–बेटी सम्मेलन" का आयोजन किया गया।

महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत एसओपी के अनुपालन में जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में स्थापित मिशन शक्ति केंद्र टीमों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाओं, बहुओं, बालिकाओं, छात्राओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं, स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं, जनप्रतिनिधियों एवं सम्मानित नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता रही।

कार्यक्रमों के दौरान महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद स्थापित करते हुए उन्हें समाज में महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा एवं आत्मनिर्भरता के महत्व से अवगत कराया गया। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के उद्देश्यों—नारी सुरक्षा, नारी सम्मान एवं नारी स्वावलंबन—के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।

सम्मेलन के दौरान महिलाओं को उनके संवैधानिक एवं विधिक अधिकारों, घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, बाल विवाह निषेध अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम एवं महिला उत्पीड़न से संबंधित विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रति जागरूक किया गया।

युवतियों एवं छात्राओं को शिक्षा के महत्व, आत्मरक्षा, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास, सुरक्षित भविष्य निर्माण एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के सुरक्षित उपयोग के संबंध में विशेष रूप से जागरूक किया गया। उन्हें साइबर अपराध, ब्लैकमेलिंग एवं ऑनलाइन ठगी से बचाव के उपाय बताते हुए किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने हेतु प्रेरित किया गया।

साइबर जागरूकता के अंतर्गत महिलाओं को OTP, बैंक खाता विवरण, ATM/CVV, UPI PIN एवं पासवर्ड साझा न करने, फर्जी कॉल/मैसेज/लिंक से सावधान रहने एवं साइबर अपराध होने पर 1930 हेल्पलाइन एवं निकटतम थाना/साइबर सेल से संपर्क करने हेतु जागरूक किया गया।

इसके अतिरिक्त शासन द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं—मिशन शक्ति, महिला हेल्प डेस्क, कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान, वन स्टॉप सेंटर, उज्ज्वला योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित महिला पेंशन योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना—के संबंध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। साथ ही 112, 1090, 181, 1098, 1930, 1076, 102 एवं 108 हेल्पलाइन नंबरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

कार्यक्रम के दौरान महिलाओं की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए उन्हें आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया गया तथा यह विश्वास दिलाया गया कि महिला सुरक्षा एवं सम्मान के लिए महोबा पुलिस सदैव प्रतिबद्ध है और हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ी है।

कार्यक्रम के समापन पर सभी महिलाओं एवं बालिकाओं को सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूक रहने, बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देने, आत्मनिर्भर बनने एवं किसी भी आपात स्थिति में बिना किसी झिझक के पुलिस एवं हेल्पलाइन सेवाओं से संपर्क करने हेतु प्रेरित किया गया।

महोबा पुलिस

दिनांक- 05.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 303/26

सर्किल चरखारी- थाना श्रीनगर

थाना श्रीनगर पुलिस टीम द्वारा

अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के नेतृत्व में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध शस्त्रों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना श्रीनगर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

थाना श्रीनगर थानाध्यक्ष श्री प्रवीण सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम, जिसमें उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह, हे0का0 अमरेश कुमार एवं रि0का0 नीरज गुप्ता द्वारा कबूतरा मोड़ से करीब 200 मीटर पहले, मुहल्ला किशोरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा से 01 नफर अभियुक्त हेमन्त सोनी पुत्र राजबहादुर सोनी, उम्र करीब 30 वर्ष, निवासी मुहल्ला मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना श्रीनगर पर मु0अ0सं0 121/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा अन्य विधिक कार्यवाही अमल में लाई गई।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अभिनव प्रताप सिंह, थाना श्रीनगर जनपद महोबा
2. हे0का0 अमरेश कुमार, थाना श्रीनगर जनपद महोबा
3. रि0का0 नीरज गुप्ता, थाना श्रीनगर जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त-

हेमन्त सोनी पुत्र राजबहादुर सोनी, निवासी मुहल्ला मनोहरगंज कस्बा व थाना श्रीनगर जनपद महोबा

अपराध का विवरण-

- मु0अ0सं0 121/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना श्रीनगर जनपद महोबा

दिनांक- 05.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 304/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कोतवाली नगर

जनपदीय स्वाट/सर्विलांश व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना किया गया का सफल अनावरण, 03 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया।

घटना का विवरण:

दिनांक 21.06.2026 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार शव की शिनाख्त हेतु आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। मृतक की पहचान ओमप्रकाश निवासी मुहल्ला फतेहपुर बजरिया, थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा के रूप में हुई। इस सम्बन्ध में मृतक के पुत्र प्रेम सिंह परिहार द्वारा तहरीर देकर बताया गया कि उनके पिता घर से रिक्शा लेकर निकले थे, जिनका शव शाहपहाड़ी नहर पुलिया के पास खेत में संदिग्ध अवस्था में मिला। वादी द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या कर शव फेंक देने का आरोप लगाया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 278/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस बनाम अज्ञात अभियुक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर श्री मनीष पांडेय के नेतृत्व में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु टीम गठित की गयी।

कार्यवाही विवरण:

आज दिनांक 05.07.2026 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए उक्त हत्या की घटना का सफल अनावरण किया गया। घटना में संलिप्त 03 बाल अपचारियों को संरक्षण में लिया गया, जिन्होंने पूछताछ में घटना कारित करना स्वीकार किया। बाल अपचारियों के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है। नियमानुसार उन्हें किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम के अंतर्गत किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

बरामदगी:

संरक्षण में लिए गए बाल अपचारियों के कब्जे/निशानदेही से मृतक ओमप्रकाश के निम्न दस्तावेज एवं सामान बरामद किए गए—

1.आधार कार्ड 2.वोटर आईडी कार्ड 3.पैन कार्ड 4. कीपैड मोबाइल फोन

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

जनपदीय स्वॉट/सर्विलांश पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री विवेक यादव, प्रभारी सर्विलांश टीम

2. कं.ऑ. अभिषेक वर्मा 3. कां0 दीपक वर्मा 4. कां0 निर्भय सिंह

5. कां0 सत्यम सिंह जादौन 6. कां0 कुलदीय यादव

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक मनीष कुमार पाण्डेय, थाना कोतवाली नगर महोबा
2. का0 अरुण कुमार, थाना कोतवाली नगर महोबा
3. का0 आमिर खान, थाना कोतवाली नगर महोबा

दिनांक- 05.07.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 305/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कोतवाली नगर

थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अधिवक्ता पर जानलेवा हमले की घटना में संलिप्त, 10-10 हजार के इनामी 02 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

घटना का विवरण:

दिनांक 30.06.2026 को सतीश अवस्थी पुत्र हरदयाल अवस्थी निवासी ग्राम बरात पहाड़ी, जनपद महोबा, जो कि पेशे से अधिवक्ता हैं, के साथ महोबा शहर से अपने गांव जाते समय मुल्ला के खंडे के पास कुछ अज्ञात/नामजद व्यक्तियों द्वारा रास्ता रोककर मारपीट की गई उक्त संबंध में पीडित के परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर, जनपद महोबा पर मु0अ0सं0 300/2026 धारा 191(2)/ 191(3)/ 3(5)/ 109(1)/ 351(3)/ 126(2) बीएनएस के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु 02 टीमों का गठन किया गया था।

पुलिस कार्यवाही:

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर के नेतृत्व में गठित पुलिस द्वारा लगातार दबिश, साक्ष्य संकलन एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे थे।

उक्त क्रम में आज दिनांक 05.07.2026 को मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा करिया पठवा पहाड़ के पीछे बजरिया क्षेत्र से घटना में संलिप्त 02 वांछित/पुरस्कार घोषित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। दोनों अभियुक्तों पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ₹10,000 - ₹10,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। अन्य फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमों द्वारा सतत प्रयास किए जा रहे हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:

1.विकास राजपूत पुत्र रामेश्वर, उम्र लगभग 20 वर्ष, निवासी ग्राम बरात पहाड़ी, थाना कोतवाली नगर, महोबा

2.हनी सिंह उर्फ सुनील पुत्र रामफल, उम्र लगभग 25 वर्ष, निवासी डाक बंगला के पास, थाना कोतवाली नगर, महोबा

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.निरीक्षक आशीष सिंह भदौरिया, थाना कोतवाली नगर महोबा

2.हे0का0 सूरज सिंह चौहान, थाना कोतवाली नगर महोबा

3.हे0का0 बृजेश सिंह तोमर, थाना कोतवाली नगर महोबा